फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :–**श्री घनश्याम**

किस्म मुकदमा :– 212 रा.का.अधिनियम

विपक्षी :–**श्री मदनलाल वगैरह**

पत्रावली संख्या :– **86/22**

जीसीएमएस नम्बर :–2022/329

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 09.04.2026 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस टी.आई. पूर्व पेशी पर सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा थामला पटवार हल्का थामला तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 350 पर दर्ज आराजी नम्बर 4057, 4058, 4061, 4062 किता 4 कुल रकबा 0.9632 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी व विपक्षीगण के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी एवं विपक्षीगण खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबंद कराना चाह रहा हैं परन्तु विपक्षीगण रेकार्डेड खातेदार हैं। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी एवं विपक्षीगण सहखातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी एवं विपक्षीगण दोनों के पक्ष में साबित होते हैं। इसलिए यदि केवल विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा परन्तु मूल वाद बंटवाडे का होने से यदि उभय पक्षकारान को पाबंद नहीं किया जाता है एवं उभय पक्षकारान वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कर मौका परिवर्तन कर देते है तो इससे प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी तथा खातेदारों को अपूरणीय क्षति होगी। चूंकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता हैं। प्रकरण में दिनांक 04.08.2022 से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर उभय पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:59 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा थामला पटवार हल्का थामला तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 की खाता संख्या 350 पर दर्ज आराजी नम्बर 4057, 4058, 4061, 4062 किता 4 कुल रकबा 0.9632 हेक्टेयर भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक किसी विशेष भू भाग पर निर्माण कार्य नहीं करें। कृषि कार्य करने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:59 IST
Reason: SelfAttested